महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में 536 मिमी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 4 अगस्त तक 536 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 9.3 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 597.3 मिली मीटर, पुसौर में 661.6, खरसिया में 506.8, सारंगढ़ में 730.8, बरमकेला में 534.3, घरघोड़ा में 468.7, तमनार में 614.4, लैलूंगा में 483.1, धरमजयगढ़ में 489.6, सरिया में 420.1 एवं छाल में 389 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

प्री.मेडिकल तथा प्री.इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व कोचिंग योजनान्तर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदकों से 26 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री.मेडिकल तथा प्री.इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व कोचिंग योजनान्तर्गत 2022-23 में प्रवेश लेने के इच्छुक प्रतिभावान विद्यार्थियों प्री.मेडिकल तथा प्री.इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते है, ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक आवेदक 26 अगस्त 2022 सायं 4 बजे तक आवेदन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में जमा कर सकते है। यह आवासीय एक वर्षीय कोचिंग योजनान्तर्गत कक्षा 12 वीं की बोर्ड परीक्षा जीव-विज्ञान एवं गणित के साथ न्यूनतम 70 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होने वाले टॉपर्स अभ्यर्थियों को नि:शुल्क आवासीय सुविधा के साथ एक वर्षीय कोचिंग दिया जाता है। योजना का लाभ ऐसे अभ्यर्थी प्राप्त कर सकेंगे, जिसके पालक आयकर दाता (2.50 लाख रुपये)तक न हो। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट से अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकते है। इस परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट से अभ्यर्थी प्राप्त कर सकते है।

तमनार राइनो में शिशु ने लिया जन्म, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

रायगढ़। दिनांक 04/08/2022 के भोर करीब 3:34 बजे डायल 112 कमान कंट्रोल रूम रायपुर को कॉल कर कॉलर महिला बताई की उसके पड़ोस में रहने वाली महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है जिसे अस्पताल ले जाने के लिए उनके पास स्वयं कोई साधन नहीं है, आसपास पता किए किंतु रात्रि किसी प्रकार मदद नहीं मिलने पर डायल 112 से मदद की आस लगाकर कॉल किए हैं। कमांड कंट्रोल द्वारा तमनार राइनो को मेडिकल इवेंट देकर ग्राम पुरी थाना घरघोड़ा पहुंचने निर्देशित किया गया। रात्रि ड्यूटी पर कार्यरत आरक्षक दीप रोशन एक्का और ERV वाहन चालक दिनेश सारथी कॉलर से संपर्क कर जानकारी लिये पीड़िता की स्थिति को समझते हुए राइनो स्टाफ संवेदनशील दिखाते हुए मेन रोड में जाम में फंसने के बजाय गांव बस्ती सड़क से ग्राम पुरी पहुंचे। जहां गर्भवती महिला देवमती मांझी पति चमरा मांझी उम्र 22 वर्ष उसके पति तथा परिवार की महिला और गांव की मितानिन को ERV में बिठाकर तत्काल सीएचसी घरघोड़ा के लिए रवाना हुए रास्ते में ग्राम घरघोड़ी के नजदीक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा असहनीय होने पर वाहन को रास्ते में रोककर आरक्षक दीप रोशन व वाहन चालक वाहन से नीचे उतरे दोनों महिलाओं द्वारा देवमती का सुरक्षित प्रसव ERV वाहन में ही कराया गया जिसके बाद बिना समय बिताए तत्काल जच्चा बच्चा को लेकर राइनो वाहन CHC घरघोड़ा पहुंची, उपस्थित नर्स दोनों का जांच किये दोनों स्वस्थ हैं। देर रात्रि राइनो स्टाफ के कार्य के प्रति निष्ठा को देखते हुए प्रसूता और उसके परिवारवाले से उन्हें साधुवाद दिया गया है।

कोई भी वार्ड एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5 से अधिक पॉजीटिव मरीज पाये जाने पर वह क्षेत्र होगा कंटेनमेंट जोन घोषित

- कलेक्टर रानू साहू ने जारी किया आदेश
- कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकारियों को सौंपे गये दायित्व

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू द्वारा जिला रायगढ़ में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार जिला रायगढ़ अंतर्गत किसी भी वार्ड एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5 से अधिक पॉजीटिव मरीज पाये जाने पर उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।

अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णत: बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिए पृथक से कलेक्टर कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।

कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को सौंपे गये दायित्व- कलेक्टर साहू द्वारा कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु जिले में पदस्थ अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। जिसके तहत कानून/पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ को जिम्मेदारी दी गयी है। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेड्क्षटग के लिए संबंधित कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग(भ/स), रायगढ़, कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था के लिए संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तथा उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दायित्व सौंपा गया है।

स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवायजरी

देश के कुछ राज्यों में एच1 एन1 के बढ़ते प्रकरण को देखते हुए कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.केशरी द्वारा स्वाइन फ्लू से बचाव व रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। डॉ.केशरी ने बताया कि स्वाइन फ्लू श्वसन तंत्र संक्रमण है जो मानव में इनफ्लूंजा वायरस(एच1एन1) के कारण होता है। इसमें सर्दी, खासी, गले में खराश, बुखार, सिद दर्द, बदन दर्द, थकावट तथा कभी कभी उल्टी-दस्त जैसे लक्षण होते है। संक्रमित व्यक्ति को सामान्यत: एक सप्ताह के भीतर सामान्य: उपचार से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों जैसे गर्भवती महिलाएं, 5 वर्ष कम उम्र के बच्चे, 65 वर्ष से अधिक वृद्वा अथवा किसी अन्य रोग से ग्रसित व्यक्तियों में इस संक्रमण की जटिलता होने की संभावना अधिक होती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने मरीज के घर पर आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए है। जिसके अनुसार सभी सर्दी, बुखार, आईएलआई के मरीज इलाज के साथ अपने घरों में सात दिवस के होम आइसोलेशन में रहना और यदि लक्षण बढ़ते है तो डॉक्टर की सलाह से अस्पताल में जाने के पश्चात पाजीटिव आने पर स्वाइन फ्लू की दवाई लेकर भर्ती रखना है। इसके लिए सभी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि एसएआरआई के सभी भर्ती मरीजों का एच1एन1 जांच अनिवार्य रूप से कराये। इसके अलावा होम आइसोलेशन के दौरान पृथक हवादार कमरे में रहना, मॉस्क का प्रयोग करना, अन्य व्यक्तियों से दूरी, मरीज के उपयोग के सामान को अलग रखना इत्यादि सावधानी बरतनी चाहिए। लक्षण के आधार पर तत्काल अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जाना चाहिए। संक्रमण का प्रसार संक्रमित व्यक्ति में लक्षण प्रारंभ होने के 3-5 दिवस में अन्य व्यक्ति में हो सकता है। संक्रमण का प्रसार सामान्यत: संक्रमित व्यक्ति के संपर्क एवं छीकने-खॉसने से होता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉ.केशरी ने अपील करते हुए कहा कि स्वाइन फ्लू के लक्षण से संबंधित व्यक्ति नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र में नि:शुल्क परामर्श, जांच व उपचार प्राप्त करें।

एनटीपीसी लारा से तांबा केबल की चोरी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

- आरोपियों से 86000 रुपए का केबल वायर जब्त

रायगढ़। पुसौर पुलिस द्वारा दिनांक 04/08/2022 को एनटीपीसी लारा के कोल हैंडलिंग के पास बने कंट्रोल रूम में लगा तांबे का केबल चोरी करने वाले चार आरोपी कमल चौहान, गजानंद साव, गुरुदेव बंजारा और सरोज गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

दिनांक 03.08.2022 के रात्रि सीआईएसएफ के निरीक्षक टीकम चंद्र साहू द्वारा थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक गिरधारी साव को प्लांट के कंट्रोल रूम के पास से करीब 18 मीटर केबल वायर की चोरी कर प्रतिबंधित एरिया के बाहर ले जा रहे 4 व्यक्तियों को सीआईसीएफ की गस्त पार्टी द्वारा पकड़ने की जानकारी दिया गया। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पुसौर अपने स्टाफ के साथ एनटीपीसी लारा प्लांट पहुंचे। मौके पर चार आरोपियों से 18 मीटर तांबा वायर कीमत 86000 का जप्त कर आरोपियों को नकबजनी के अपराध

में गिरफ्तार कर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रायगढ़ के न्यायालय पेश किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी एवं मशरूका की बरामदगी में थाना प्रभारी पुसौर उपनिरीक्षक गिरधारी साव के साथ सहायक उपनिरीक्षक हेम सागर पटेल, सउनि के.ए.स जगत, प्रधान आरक्षक शिव प्रसाद पैकरा एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

गिरफ्तार आरोपी -

(1) गुरुदेव बंजारा पिता गणपत बंजारा 29 वर्ष निवासी बोड़ाझरिया थाना पुसौर (2) गजानंद साव पिता श्याम लाल साव उम्र 24 वर्ष निवासी कांदागढ़ थाना पुसौर (3) कमल चौहान पिता बंशीराम चौहान उम्र 28 वर्ष निवासी चंघोरी थाना पुसौर (4) सरोज गुप्ता पिता जगदीश गुप्ता उम्र 26 वर्ष निवासी केशला पुलिस चौकी जूटमिल रायगढ़।

इतवारी बाजार में शिफ्टिंग के लिये करें कार्यवाई -कलेक्टर

- कलेक्टर साहू ने किया शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू ने आज इतवारी सब्जी मंडी सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संजय मार्केट निर्माण पूर्व वहां के व्यापारियों को इतवारी सब्जी मंडी में शिफ्टिंग के लिए व्यवस्था संबंधित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर साहू ने संजय मार्केट स्टीमेट, डीपीआर सहित मंडी भूमि संबंधित केस की जानकारी ली। इससे संबंधित जानकारी उपायुक्त सुतीक्षण यादव ने बताया कि संजय मार्केट के व्यापारी निर्माण के दौरान मंडी में शिफ्ट होने के लिए सहमत हैं। इस पर कलेक्टर साहू ने शिफ्टिंग पूर्व मंडी में पानी, शौचालय, नाली आदि की व्यवस्था करने और शिफ्टिंग की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश कमिश्नर संबित मिश्रा को दिए। इस दौरान कलेक्टर साहू ने विजयपुर मेडिकल मोबाइल यूनिट (एमएमयू) का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर साहू ने एमएमयू में जांच के पर्याप्त संसाधन, दवाइयों का स्टाक, मरीजों की संख्या की जानकारी ली और मरीजों को जांच, इलाज सहित नि:शुल्क दवाइयों के पूर्ण सुविधा देने की बात कही। इससे पहले कलेक्टर साहू ने रुखमणि विहार स्थित बूढ़ी माई गार्डन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गार्डन के सुव्यवस्थित व्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने गार्डन में इसी तरह स्वच्छ और हरा भरा वातावरण कायम रखने और आसपास के लोगों को स्वच्छता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की बात कही। इसके बाद लक्ष्मीपुर पुल स्थित नाले को देखा गया। इस दौरान नाले की सफाई कराने के निर्देश दिए गए। इसी तरह मरीन ड्राइव स्थित प्रस्तावित चौपाटी का निरीक्षण कलेक्टर साहू ने किया। उन्होंने प्रस्तावित कार्य के संबंध में कार्यपालन अभियंता नित्यानंद उपाध्याय से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने इस विषय पर सभी संबंधित पक्षों की बैठक कर कार्ययोजना के संबंध में सार्थक चर्चा करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान एसडीएम गगन शर्मा, उपायुक्त सुतीक्षण यादव, सहित निगम स्वास्थ्य के कर्मचारी उपस्थित थे।

कुछ परेशानी तो नई हे- निरीक्षण के दौरान विजयपुर में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदियों से भी कलेक्टर रानू साहू ने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ी बोली में स्वच्छता दीदियों से हालचाल जाना और उन्हें लगन के साथ कार्य करने और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने की बात कही।

स्टेडियम की गतिविधियों से रायगढ़ शहर के लोगों को जोड़ें -कलेक्टर

- स्टेडियम के उन्नयन के लिए प्रस्ताव तैयार करने और बैठक में रखने निगम आयुक्त मिश्रा को दिए निर्देश

रायगढ़। रायगढ़ शहर के अंदर व्यवस्थित रूप में स्टेडियम का होना, यहां के स्वास्थ्य एवं खेल गतिविधियों का परिचय देता है। इसके उन्नयन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उक्त बातें कलेक्टर रानू साहू ने रायगढ़ स्टेडियम के निरीक्षण में कही। कलेक्टर साहू एवं निगम आयुक्त संबित मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों ने आज सुबह 8 बजे स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेडियम के अधिकारियों ने स्टेडियम के संबंध में जानकारी दी। सबसे पहले विभिन्न खेलों के लिए बनाएं कोर्ट का जायजा लिया। इसके बाद स्केटिंग ट्रैक की जानकारी ली गई। स्केटिंग ट्रैक के बगल में स्थित स्वीमिंग पूल का कलेक्टर साहू ने निरीक्षण लिया। इस दौरान स्टेडियम के अधिकारियों ने बताया कि स्वीमिंग करने वालों की संख्या ज्यादा हैं। सन् 2000 में

स्वीमिंग पूल का निर्माण हुआ था। वर्तमान में इसके टाइल्स आदि को बदलने सहित नए सिरे से नए प्रस्ताव के साथ आधुनिक स्वीमिंग पूल बनाने की आवश्यकता है। इस दौरान कलेक्टर साहू ने स्वीमिंग पूल के पानी को शुद्ध रखने संबंधित उपाय और स्वीमिंग के लिए समय-समय व कोच की व्यवस्था की भी जानकारी ली। बताया गया कि महिला एवं पुरुष के लिए वेल ट्रेनर यहां मौजूद हैं। इसके बाद बैडमिंटन कोर्ट, योगा हाल और जिम हाल का जायजा कलेक्टर रानू ने लिया। इस दौरान स्टेडियम में योगा करने आने वाले शहर के सीनियर सिटीजन ने शौचालय निर्माण कराने की मांग की, जिस पर कलेक्टर साहू ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसी तरह जिम ट्रेनर्स और जिम में आने वाले लोगों से भी कलेक्टर साहू ने चर्चा की। इस दौरान यहां व्यवस्था से संबंधित मांग किए गए, जिस पर कार्य करने के निर्देश कलेक्टर साहू ने दिए। कलेक्टर साहू ने कहा कि जिम काफी व्यवस्थित और इसमें व्यायाम से संबंधित लगे हुए आधुनिक उपकरण आकर्षित करती हैं। इसे और व्यवस्थित और आधुनिकीकरण करने कार्य किया जाएगा। इसके बाद ताइक्वांडो हॉल का भी निरीक्षण किया गया। ताइक्वांडों से संबंधित ट्रेनर्स की संख्या और तकनीकी जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर साहू ने कहा कि शहर के बीच व्यवस्थित स्टेडियम की सुविधा है। यहां सभी तरह के खेल कोच एवं एकेडमी भी कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यहां खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेन करने का वातावरण है। उन्होंने शहर के लोगों को स्वास्थ्य एवं खेल के प्रति जागरूक करते हुए स्टेडियम की गतिविधियों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोडऩे की बात कही। कलेक्टर साहू ने स्टेडियम से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों, आधुनिकीकरण और मांग के अनुसार अलग-अलग प्रस्ताव तैयार करने निर्देशित किया और आने वाले समय में स्टेडियम के उन्नयन के लिए कार्य करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान एसडीएम गगन शर्मा, उपायुक्त सुतीक्षण यादव, कार्यपालन अभियंता नित्यानंद उपाध्याय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

दिव्यांग सदस्य का किया उत्साहवर्धन, बताया दूसरों के लिए प्रेरणा

शहर के दिव्यांग अंजय चौहान स्टेडियम के सदस्य हैं। वे पेशे से शिक्षक हैं और स्टेडियम में हेल्थ और स्पोट्र्स एक्टिविटी के लिए पूरी सक्रियता से कार्य करते हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर साहू ने उनसे भी मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा दूसरों को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही।

महानदी में मिले अज्ञात शव मामले में सरिया थाने में दर्ज किया गया हत्या का अपराध दर्ज

- मृतकों की शिनाख्तगी के लिये ओड़िशा के कई जिलों में जारी की गई है ईश्तहार

रायगढ़। दिनांक 01/08/22 को थाना सरिया अन्तर्गत नदीगांव सूरजगढ़ महानदी में अज्ञात पुरूष उम्र करीब 40-45 वर्ष तथा महिला उम्र करीब 30-35 वर्ष का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक के.के. पटेल द्वारा शव पंचनामा कार्रवाई कर डॉक्टर की टीम के साथ मौके पर ही शव का पोस्ट मार्टम कराया गया, शवों का पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया। पी.एम. रिपोर्ट पर दोनों मृतकों का मृत्यु का कारण गला घोंटने से श्वांस अवरूद्ध होने से हदय घात से मृत्यु होना लेख कर मृत्यु की प्रकृत्ति हत्या लेख किया गया है। थाना सरिया में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक के.के. पटेल द्वारा पुलिस तथा कई व्हाट्सएप ग्रुप में मृतकों के फोटोग्राफ्स शेयर कर पहचान का प्रयास किया गया साथ ही थाना क्षेत्र के गांव तथा आसपास गांव में मृतकों की शिनाख्तगी के लिये प्रयासरत है। अब तक मृतकों के वारिसानों का पता नहीं चल पाया है। थाना प्रभारी जिले के सभी थाना को मृतक के उम्र, हुलिए के अनुसार गुम इंसानों से मिलान कर सूचित करने रेडियो मैसेज के माध्यम से सूचित किया गया है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर सरिया पुलिस स्टाफ सीमावर्ती प्रांत ओडिशा के कई जिलों में मृतकों के फोटोग्राफ्स सहित ईश्तहार अपने स्टाफ के साथ थानों में चस्पा कर प्रमुख बस स्टैंड, मार्केट, सार्वजनिक स्थानों पर वितरित कराया गया है।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गया जेल, जूटमिल पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़। दिनांक 04.08.2022 को पुलिस चौकी जुटमिल द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सिद्धांत सारथी उर्फ बाबु (23 साल) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी के विरूद्ध दिनांक 31/07/2022 को पुलिस चौकी जूटमिल में नाबालिग बालिका द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।

बालिका महिला पुलिस अधिकारी को बताई कि करीब 17 दिन पहले सिद्धांत सारथी रात्रि घर के बाहर पेशाब करने निकली थी। उसी समय अचानक से आकर मुंह दबाकर पास के सुने मकान में ले गया और दुष्कर्म किया । आरोपी द्वारा घटना किसी को बताने पर परिवार को मार देने की धमकी दिये जाने पर डर से बालिका घर में किसी को नहीं बताई थी। कुछ दिनों बाद हिम्मत जुटाकर कर अपनी मां को बताई और घर परिवार में सलाह कर घटना का लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पुलिस चौकी जूटमिल में दुष्कर्म, पोक्सो का अपराध दर्ज कर बालिका का मेडिकल कराया गया तथा आरोपी की पतासाजी किया गा जो रिपोर्ट होने की जानकारी पाकर फरार था। मामले की जांच कर रहे उप निरीक्षक राम स्वरूप नेताम द्वारा फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिये मुखबिर तैनात किया गया था, आज मुखबिर सूचना पर एसआई आर.एस. नेताम हमराह स्टाफ के साथ दबिश देकर आरोपी सिद्धांत सारथी उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जहां से जेल वारंट पर आरोपी को जिला जेल दाखिल कराया गया है। आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में उप निरीक्षक आर.एस. नेताम के साथ महिला प्रधान आरक्षक रेखा नागरे, आरक्षक पदमेश डेंजारे की अहम भमिका रही है।

महापौर व कलेक्टर ने डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता रैली को दिखाई हरी झण्डी

रायगढ़। महापौर जानकी काटजू एवं कलेक्टर रानू साहू ने आज डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखायी। रैली में नर्सिंग और एनएनएस के भोजराम पटेल व 48 छात्रों सहित ओपी जिंदल के छात्राएं एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थी। वे बैनर पोस्टर्स के माध्यम से डेंगू से मुक्ति, दूषित जल को हटाना है, डेंगू से बचाना है, जैसे श्लोगन की तख्तियां लिए शहर के मुख्य मार्गो में निकले थे एवं जनसामान्य को डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जागरूक करने का संदेश दे रहे थे।

कलेक्टर साहू ने कहा कि डेंगू से बचाव संभव है। डेंगू के मच्छर के प्रजनन को नियंत्रित करने से इसे फैलने से रोका जा सकता है। गर्मी के बाद बारिश आने से मौसम में बदलाव होता है। इस स्थिति में तापमान, वर्षा होने से जलवायु परिस्थितियां मच्छर के प्रजनन के लिए अनुकूल हो जाती हैं। ऐसे में मच्छर जनित रोग जैस-डेंगू, चिकनगुनियां इत्यादि बढऩे लगते हैं। इससे बचाव के लिए इन मच्छर को पनपने से रोकना जरूरी है। इसके लिए सभी को जागरुक होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू के रोकथाम हेतु विभिन्न एडवायजरी की गयी है, उसे पालन करें और डेंगू से बचें।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी सहित स्वास्थ्य विभाग से शहरी कार्यक्रम प्रबंधक डॉ.राकेश वर्मा, शेख निषाद, मलेरिया सलाहकार सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

सीएमएचओ डॉ.एस. एन.केशरी ने बताया कि रायगढ़ शहरी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, हमर क्लीनिक, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामभांठा, इंदिरानगर, गांधीनगर, यू.एच.डब्लयू.सी देवारपारा, जगतपुर, जेलपारा, झोपड़ीपारा, सराईभद्र डीपापारा में डेंगू जांच नि:शुल्क किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने डेंगू के कारणों, उससे निजात और जनजागरूकता से इसे खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि डेंगू एडीज एजिप्टी रोग वाहक मच्छर के द्वारा फैलता है। इस रोग का प्रसार अधिकतर जुलाई से नवंबर माह के मध्य रहता है। यह मच्छर घर के अंदर व आसपास के स्थानों पर रहता है वहीं पर पनपता है। यह केवल दिन के समय ही काटता है यह एक प्रभावित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में तेजी से प्रसार करता है। डेंगू बुखार की रोकथाम एवं निवारण में जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए डेंगू फैलाने वाले मच्छर को अपने घर के आस-पास पैदा न होने दें। जिसके लिये अपने घर के आसपास जल जमा ना होने दे, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करे, कीटनाशक का छिड़काव करायें, कूलर, फूलदान, फ्रिज ट्रे, आदि को प्रति सप्ताह में एक बार साफ करते रहें। इस प्रकार से सावधानी बरतकर हम डेंगू के फैलाव में नियंत्रण कर सकते है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480